उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-36/2020/483/92-2-20-39जांच/2017
लखनऊ:: दिनांक:: 14 फरवरी 2020

कार्यालय-ज्ञाप

श्री धर्मेन्द्र प्रकाश, तत्का0 अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बागपत के विरूद्ध निदेशालय के आदेश सं0-2009/दिनांक 11-11-2003 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही तथा अभियोजन सं0-360/2002 के प्रचलित रहने की स्थिति में भी वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के आदेश दिनांक 05-11-2014 के पैरा-14 में उल्लिखित व्यवस्था को संज्ञान में न रखते हुये आदेश सं0-1414/दि0 24-06-2016 द्वारा श्री धर्मेन्द्र प्रकाश, अवर अभियंता की अनियमित ढंग से द्वितीय वित्तीय स्त्रोन्नयन अनुमन्य किये जाने की अनियमितता हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री के0के0 मिश्रा, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-157/ 2019/2488/92-2-19-39 जांच/2017 दिनांक 05.11.2019 सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ श्री जी0एस0 नवीन कुमार, विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन को जॉच अधिकारी नामित किया गया था। जॉच अधिकारी /श्री जी0एस0 नवीन कुमार, विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-51/ जी0एस0 (एन)/2020 दिनांक 21.01.2020 द्वारा उनके अत्याधिक व्यवस्तता एवं दिनांक 21.01.2020 को अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण हो जाने के कारण जॉच कार्यवाही पूर्ण किये जाने में असमर्थता व्यक्त करते हुये समस्त अभिलेख मूलरूप में वापस कर दिये गये।

2- जांच अधिकारी/श्री जी0एस0नवीन कुमार, विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 21.01.2020 के संदर्भ में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये श्री जी0एस0 नवीन कुमार, विशेष सचिव, कृषि विभाग के स्थान पर श्री रमा शंकर, विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन को जांच अधिकारी नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-36/2020/483 (1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- पूर्व जॉच अधिकारी/ श्री जी0एस0 नवीन कुमार, विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र सं0-51/बी0एस0(एन)/2020 दि0 21.01.2020 के क्रम में।

3- श्री रमा शंकर, विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन को पूर्व जांच अधिकारी/ श्री जी0 एस0 नवीन कुमार विशेषसचिव से प्राप्त समस्त अभिलेख (मूलरूप में) व शासन से अनुमोदित आरोप पत्र (मय संलग्नक) इस आशय से प्रेषित कि श्री के0के0 मिश्रा के विरूद्ध निर्धारित समयावधि में जॉच आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ।

5- श्री के0के0 मिश्रा, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, परि0-लखनऊ सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।